

—:: संविदा पद एवं इंटर्न चयन हेतु विज्ञापन एवं विस्तृत दिशा-निर्देश ::—

छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) एक जैविक प्रमाणीकरण संस्था है जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी) अंतर्गत राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.), नई दिल्ली से प्रत्यायित है। जो एपिडा, नई दिल्ली के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी) मानक के अनुसार निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण का कार्य करती है। आवेदक द्वारा निरीक्षण, मूल्यांकन, गुणवत्ता प्रबंधन एवं इंटर्न क्षेत्रीय कार्य हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को संविदा रूप से चयन हेतु दिनांक 23/10/2024 को प्रातः 10.00 बजे से प्रथम चरण वॉक-इन-इन्टरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन होता है अथवा तिथि में परिवर्तन आदि हेतु सूचना केवल सीजीसर्ट संस्था की वेबसाइट www.cgcert.com पर अपलोड किया जावेगा।

1. संविदा पद एवं इंटर्न हेतु पद रिक्तियों का विवरण –

क्र.	पद का विवरण	पद संख्या
1	क्वालिटी मैनेजर	1
2	मूल्यांकनकर्ता	1
3	फील्ड इंस्पेक्टर	1
4	इंटर्न (Certification)	5
योग :-		8

उपरोक्त पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है। पदों हेतु निर्धारित मासिक देय (एकमुश्त) का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है। निश्चित मासिक मानेदय के अतिरिक्त प्रदर्शन के आधार पर इंसेन्टिव भी देय होगा।

क्रमांक	पद का नाम	संविदा मासिक वेतन (एकमुश्त)
1.	क्वालिटी मैनेजर	रु. 35,165 /— (+परफार्मेंस के आधार पर इंसेन्टिव)
2.	मूल्यांकनकर्ता	रु. 26,490 /— (+परफार्मेंस के आधार पर इंसेन्टिव)
3.	फील्ड इंस्पेक्टर	रु. 26,490 /— (+परफार्मेंस के आधार पर इंसेन्टिव)
4.	इंटर्न (Certification)	रु. 15,000 /— (5000 तक परफार्मेंस के आधार पर इंसेन्टिव)

उक्त रिक्तियाँ पूर्ण रूप से अस्थायी है एवं चयनित अभ्यर्थी की मासिक वेतन (एकमुश्त) हेतु को मुख्यालय छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) कार्यालय, रायपुर होगा। इसके साथ ही निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण इत्यादि का कार्य स्थल संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश के अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों में है एवं आवश्यकतानुसार नियमित दौरा का निरीक्षण, क्षेत्रीय कार्य, प्रमाणीकरण एवं अन्य कार्य सम्पन्न करना होगा। ऐसा नहीं करने पर एक तरफा कार्यवाही करते हुए संविदा नियुक्ति / इंटर्नशीप की अवधि समाप्त की जावेगी।

2. शैक्षणिक योग्यता:-

क्वालिटी मैनेजर / मूल्यांकन कर्ता / फील्ड इंस्पेक्टर / इंटर्न

S.N.	Post	Qualification	Preferable Experience
1	Quality Manager	M.Sc in Agriculture / Forestry or Forest Management / Life Science/Food Technology with minimum 60% marks	Upto 02 years of experience in the Field of Organic Certification and Evaluation / Cultivation. He / She Should have thorough Knowledge of NPOP, Organic Inspection & Certification. Preference will be given to Ph.D Holders.
2	Evaluator	Post Graduate in Agriculture / Forestry or Forest Management / Biochemistry / Biotechnology / Food Technology / Life Science / Microbiology with minimum 60 % marks.	Upto 01 year of experience in the Field of Organic Certification, Inspection and Evaluation / Cultivation. He / She Should have thorough Knowledge of NPOP, Organic Inspection & Certification.
3	Field Inspector	Post Graduate in Agriculture / Forestry or Forest Management / Biochemistry / Biotechnology / Food Technology / Microbiology with minimum 60 % marks	Upto 01 year of experience in the Field of organic Inspection and Certification /Cultivation.

इंटर्न

S. No.	Component	Sub-Component	Education	Subject
1	Research	Forestry	M.Sc. Degree (With Minimum 55%)	Forestry/Bio Sciences/ Agriculture/Horticulture/Natural Resource Management
2		Wildlife	M.Sc. Degree (With Minimum 55%)	Wildlife/ Natural Resource Management /Zoology
3	Extension	Agro-Forestry	M.Sc Degree (With Minimum 55%)	Forestry/Agriculture/Horticulture/Farm Forestry/Bio Science/ Rural Technology
4		MFP	B.Tech. Degree (With Minimum 55%)	Rural Technology/Agri Engineering/Food Technology/Food Processing and Management
5	Technical	Food Technology	B.Tech Degree (With Minimum 55%)	Mechanical/Food Processing/Food Technology /Industrial
5		Forest Based Technology	B.Tech Degree (With Minimum 55%)	Bio Technology/Forestry / Rural Technology / Agriculture Engineering

2.1 कार्यदायित्व :-

2.1.1 क्वालिटी मैनेजर – सीजसीट में प्रमाणीकरण गतिविधियों के अंतर्गत प्रमाणीकरण, निरीक्षण गतिविधियों से संबंधित निरीक्षक को नामित करना। निगरानी, मूल्यांकन एवं गुणवत्ता प्रबंधन के संचालन हेतु वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना। संस्था का आंतरिक लेखा कार्य इत्यादि का संचालन करना। संस्था के लिए जनसंपर्क के बतौर कार्य करना। इसके अतिरिक्त कार्यालय के संपूर्ण प्रशासनिक कार्य दायित्वों का मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा समन्वय स्थापित कर निर्वहन करना।

2.1.2 मूल्यांकनकर्ता- सीजसीट में प्रमाणीकरण गतिविधियों के अंतर्गत प्रमाणीकरण, निरीक्षण से संबंधित वार्षिक योजना का मूल्यांकन करना। प्रक्षेत्र निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन का मूल्यांकन करना। वार्षिक निरीक्षण योजना तैयार करना। निरीक्षण उपरांत प्राप्त अनुपालन का मूल्यांकन एवं सत्यापन करना। सत्यापन पश्चात स्कोप एवं ट्रॉजेक्शन सर्टीफिकेट जारी करना। मूल्यांकनकर्ता

लबित दस्तावेज, प्रमाणीकरण शुल्क, त्रुटी अनुपालन इत्यादि हेतु जिम्मेदार होगा। इसके अतिरिक्त कार्यालयीन कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

- 2.1.3 फील्ड इंस्पेक्टर** – सीजसीर्ट में प्रमाणीकरण गतिविधियों के अंतर्गत वार्षिक निरीक्षण योजना अनुसार घोषित, अघोषित, अतिरिक्त एवं जोखिम आधारित निरीक्षण का संपादन करना। जोखिम आधारित प्रक्षेत्र से नमूना संग्रहण कर कार्यालय को प्रेषित करना। निरीक्षण उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन सह आवश्यक दस्तावेज मूल्यांकनकर्ता को प्रेषित करना। निरीक्षण द्वारा किसी भी ऑपरेटर को सेवा प्रदाता के बतौर सेवा प्रदान नहीं की जावेगी ताकि प्रमाणीकरण की विश्वसनीयता बनी रहे।
- 2.1.4 अनुसंधान** – सीजसीर्ट में प्रमाणीकरण गतिविधियों के अंतर्गत संचालित विभिन्न कृषि, वानिकी, प्रसंस्करण, इनपुट अनुमोदन, व्यापार एवं विकास कार्यों में आर ही समस्याओं एवं वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर परियोजना आधारित अनुसंधान एवं वन प्रमाणीकरण कार्यों का संपादन तथा कार्यवार एस.ओ.पी. तैयार करना। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यों हेतु आवश्यक आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, क्रियान्वयन एवं कार्यालय कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
- 2.1.5 विस्तार-विभिन्न अनुसंधान कार्यों से विकसित तकनीकी एवं पद्यति का मानिकीकरण एवं क्षेत्रीय कार्यों का अनुप्रयोग करना। उत्पादों का प्रमाणीकरण, अध्ययन, तकनीक का स्थानांतरण एवं कार्यालय कार्यों में सहयोग प्रदान करना।**
- 2.1.6 तकनीकी-क्षेत्रीय कार्यों द्वारा तकनीक विकास, हितग्राहियों को विस्तार एवं कार्यालय कार्यों में सहयोग प्रदान करना।**

3. आयुसीमा:-

- 3.1** संविदा पद हेतु अभ्यर्थी की अधिकतम आयु **01.09.2024** की स्थिति में 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में अतिरिक्त छूट शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार है। इंटरन के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण करने के पश्चात अधिकतम 5 वर्ष तक के अभ्यर्थी उक्त रिक्तियों हेतु आवेदन कर सकते हैं परंतु अभ्यर्थी की अधिकतम आयु **01.09.2024** की स्थिति में 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

- 4. निवासी:-**छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी आवेदक को प्राथमिकता दिया जायेगा। जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र को आधार माना जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर यदि योग्य उम्मीदवार का आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थिता को मान्य किया जावेगा।

5. चयन प्रक्रिया-

5.1 सामान्य निर्देश-

- 5.1.1** इच्छुक अभ्यर्थी संस्था की वेबसाईट www.cgcert.com का अवलोकन कर दिये गये प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन किया जावे। यदि किसी कारणवश ऑनलाईन आवेदन न हो

पावे तो साक्षात्कार की तिथि में समय प्रातः 10:00 बजे स्वप्रमाणित आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवेदन कर सकते हैं।

- 5.1.2** इच्छुक अभ्यर्थी मूल दस्तावेजों के साथ कार्यालय छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) में साक्षात्कार दिनांक को साक्षात्कार में भाग ले सकेंगे।
- 5.1.3** साक्षात्कार दिनांक को प्राप्त आवेदनों के आधार पर कार्यालय छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट), रायपुर द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के साथ चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी। अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार में आने का यह तात्पर्य नहीं होगा कि उनका चयन हो गया है।
- 5.1.4** छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट), रायपुर हेतु प्रस्तावित पदों पर साक्षात्कार कार्यालय राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर, रायपुर में होगा।
- 5.1.5** एक ही अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों में आवेदन की स्थिति में उसे प्राथमिकता कम निर्धारित करना होगा। एक बार संविदा पद/इंटरनशीप हेतु चयनित अभ्यर्थी अन्य पद हेतु किये गये आवेदन पर पुनः संविदा पद/इंटरनशीप हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 5.1.6** शैक्षणिक योग्यता, साक्षात्कार एवं अन्य माप दण्ड में प्राप्त अंक के आधार पर प्रावीण्य सूची जारी की जावेगी। चयन आदेश संबंधित जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीजीसर्ट द्वारा जारी किया जायेगा।
- 5.1.7** सीजीसर्ट की चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीजीसर्ट द्वारा चयन तथा प्रतिक्षा सूची जारी किया जावेगा। प्रथम चयनित अभ्यर्थी के उपस्थित नहीं होने पर प्रावीण्य सूची से अगले प्रतिक्षारत अभ्यर्थी हेतु आदेश जारी किया जा सकता है।

6. सीजीसर्ट की चयन प्रक्रिया के तहत अंको का विभाजन-चयन प्रक्रिया हेतु वरीयता सूची निम्नानुसार अंक विभाजन प्रक्रिया द्वारा तैयार की जावेगी:-

क्वालिटी मैनेजर/ मूल्यांकनकर्ता/फील्ड इंस्पेक्टर	
विवरण	अंक विभाजन
शैक्षणिक योग्यता	अधिकतम 65 अंक
अतिरिक्त योग्यता(जैसे पी.एच.डी. एवं अन्य योग्यता परीक्षा पास)	अधिकतम 05 अंक
जैविक प्रमाणीकरण के क्षेत्र में कार्य अनुभव (1 वर्ष के लिए 2 अंक)	अधिकतम 10 अंक
रिसर्च पब्लिकेशन (कृषि वानिकी, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, विकास एवं व्यापार)	अधिकतम 05 अंक
साक्षात्कार	15 अंक
कुल योग:-	100 अंक

इंटरन	
विवरण	अंक विभाजन
शैक्षणिक योग्यता	अधिकतम 70 अंक
अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता (स्नातक के स्थान पर स्नातकोत्तर होना या स्नातकोत्तर के स्थान पर पी.एच.डी. होना)	अधिकतम 10 अंक
अनुभव (1 वर्ष के लिए 5 अंक)	5 अंक
साक्षात्कार	15 अंक
योग:-	100 अंक

संविदा पद/इंटरन पद पर शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, रिसर्च पब्लिकेशन, प्रशिक्षण, कम्प्यूटर ज्ञान एवं साक्षात्कार इत्यादि में सर्वाधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा। चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी प्रकार के संशोधन अथवा निर्देशों के लिये संस्थान के वेबसाइट www.cgcert.com का नियमित अवलोकन करते रहे।

7. मूल दस्तावेज सत्यापन-

साक्षात्कार पूर्व आवेदक को निर्धारित प्रारूप में कार्यालय छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट), रायपुर में समस्त स्व प्रमाणित दस्तावेजों का परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन के समय प्रस्तुत जानकारी एवं मूल दस्तावेज में अंकित जानकारी समान होने पर ही आवेदक चयन हेतु पात्र होगा। गलत जानकारी प्रस्तुत करने के कारण यदि चयन निरस्त की जाती है तो इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। सत्यापन हेतु मूल दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है :-


- 7.1 हाई स्कूल अंकसूची की मूलप्रति एवं छायाप्रति।
- 7.2 हायर सेकेण्ड्री अंकसूची की मूलप्रति एवं छायाप्रति।
- 7.3 स्नातक, स्नातकोत्तर एवं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची की मूल एवं छायाप्रति।
- 7.4 निवासी प्रमाण पत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति।
- 7.5 फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेन्स, पैनकार्ड या कोई भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पहचान कार्ड)।
- 7.6 अनुभव प्रमाण पत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति।
- 7.7 अन्य आवश्यक अभिलेख एवं छायाप्रति।

8. सामान्य दिशानिर्देश:-

- 8.1 अभ्यर्थी द्वारा संस्था के वेबसाइट www.cgcert.com का अवलोकन कर दिये गये प्रारूप में आवेदन किया जावेगा। यदि किसी कारणवश ऑनलाईन आवेदन न हो पावे तो साक्षात्कार की तिथि में समय प्रातः 10:00 बजे तक आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवेदन कर सकते हैं।
- 8.2 संभावित रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
- 8.3 अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में उम्मीदवारों को कोई पृथक सूचना नहीं दी जावेगी।

- 8.4 संविदा पद / इंटरन चयन हेतु अर्हता, चयन प्रक्रिया तथा अन्य संबंधित जानकारी संस्था की वेबसाईट www.cgcert.com पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया जावेगा। अतः आवेदक www.cgcert.com का निरंतर अवलोकन करते रहें।
- 8.5 आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही साक्षात्कार में उपस्थित हों। चयन की किसी भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, इसके लिए किसी भी प्रकार की पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
- 8.6 विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत सूचना वेबसाईट www.cgcert.com में प्रकाशित होगी। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
- 8.7 चयन के संबंध में नियुक्तकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- 8.8 संविदा नियुक्ति / इंटरनशीप की अवधि 1 वर्ष के लिए होगी। इंटरन का चयन पूर्ण रूप से अस्थायी रहेगा। इंटरन का चयन पूर्ण रूप से अस्थायी रहेगा।
- 8.9 संविदा नियुक्ति / इंटरनशीप हेतु एक बार चयनित अभ्यर्थी का चयन दोबारा संविदा नियुक्ति / इंटरनशीप हेतु नहीं लिया जावेगा।
- 8.10 चयनित आवेदकों को छत्तीसगढ़ एवं आवश्यकतानुसार अन्य प्रदेशों में निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण तथा क्षेत्रीय कार्य संपादन करना है। इस हेतु आवेदक को संस्था द्वारा संपूर्ण राज्य के बाहर किसी भी स्थान पर चयनकर्ता अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्र भ्रमण किया जाना होगा।
- 8.11 संविदा नियुक्ति / इंटरनशीप के दौरान उभय पक्षों द्वारा एक माह का मानदेय अथवा एक माह का नोटिस देकर संविदा नियुक्ति / इंटरनशीप समाप्त की जा सकती है।
- 8.12 चयन हेतु आवेदक की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संस्था के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
- 8.13 ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में अनुशासनहीनता/अनुचितव्यवहार या अनियमितता के आधार पर दंडित किया गया हो वह चयन हेतु पात्र नहीं होगा।
- 8.14 किसी भी आवेदक द्वारा यदि गलत जानकारी प्रस्तुत की गयी है, तो चयन प्रक्रिया के समय अथवा चयन के पश्चात किसी भी समय उसकी संविदा नियुक्ति / इंटरनशीप निरस्त की जा सकती है।
- 8.15 प्रदर्शन के आधार पर देय इंसेन्टिव दर, प्रक्रिया निर्धारण करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट), रायपुर का ही होगा। संविदा पद / इंटरन इसमें किसीभी प्रकार का दावा नहीं कर सकते।
- 8.16 इंसेन्टिव आधारित पारिश्रमिक भत्ता का निर्धारण कार्य की प्रगति के आधार पर प्रतिमाह भुगतान किया जावेगा। संविदा पद / इंटरन इसमें किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते।

- 8.17 यह संविदा नियुक्ति / इंटरनशीप छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट), रायपुर में किसी भी प्रकार के नौकरी या नियुक्ति का आश्वासन नहीं करता।
- 8.18 चयनित संविदा पद / इंटरन द्वारा यदि दूरस्थ क्षेत्रों में प्रवास के लिए असहमति दी जाती है तो तत्काल प्रभाव से उनकी संविदा नियुक्ति इंटरनशीप समाप्ति की जावेगी।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत
वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट)
रायपुर, छत्तीसगढ़